

Title: Need to release funds for enabling payments to workers of closed textile mills under the Central Government sponsored TWRF Scheme.

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष जी, कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लाखों कामगारों के आर्थिक संकट की ओर मैं एक बार फिर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह गंभीर समस्या है। **₹** (व्यवधान)

MR. SPEAKER: धीरज रखिये, I am prepared to sit till 2 o'clock, or till 3 o'clock.

श्री हरिन पाठक : सन् 1985 की कपड़ा उद्योग नीति के दूरगामी अंश से देश में एक के बाद एक मिलें बंद होने लगीं हैं लाखों कामगार बेकार और बेरोजगार होने लगे हैं। उस समय की सरकार ने एक अच्छा निर्णय किया। तत्कालीन सरकार ने एक "टैक्सटाइल वर्कर्स रिहैबिलिटेशन फंड स्कीम" नाम की योजना बनाई, जिसके तहत जो कामगार हैं, उन्हें कुछ धनराशि मुहैया कराई जाए। वह राशि देने का काम शुरू हो गया है और राशि दी जा रही है। मिलें निरंतर बंद होती जा रही हैं और जो 41 आइडेंटिफाईड मिलें हैं, उनमें से 31 गुजरात में और 27 अहमदाबाद में हैं। अभी भी 25 हजार कामगारों को "टैक्सटाइल वर्कर्स रिहैबिलिटेशन फंड स्कीम" से पैसा नहीं मिला है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार ने जब माननीय कांशी राम राणा जी टैक्सटाइल मंत्री थे, इन कामगारों की एक सीलिंग बनाई गयी थी कि मिल बंद होने के समय, जिनकी तनखाह 2500 रुपया थी, उस मर्यादा को बढ़ाकर 3500 रुपया करने का विचार किया गया ताकि स्कीम का लाभ उन्हें मिल सके। वह कैबिनेट द्वारा पास किया हुआ निर्णय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह जो निर्णय लिया है कि जिनकी तनखाह जब मिल बंद थी तब 3500 रुपया थी, उस कामगार को भी इस योजना के अंतर्गत लिया जाए और सन् 1986 से ही कामगार को पैसा दिया जाए। साथ-साथ जो स्टेच्युटरी राइट्स के लाभ हैं, ग्रेज्युटी और डिस्प्लेसमेंट बनिफिट्स अभी तक देश में एक भी कामगार को नहीं मिले हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनकी मर्यादा 2500 रुपये के बदले 3500 रुपये की जाए और उनके जो स्टेच्युटरी राइट्स के बनिफिट्स हैं, उन्हें वे दिये जाएं।